mail

पत्रांक–2649/आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग।

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज/ अररिया/ पूर्णियाँ/ कटिहार/ दरभंगा/ पूर्वी चम्पारण/ प0 चम्पारण/ सीतामढ़ी/ शिवहर/ सुपौल/ मधुबनी/ मुजफ्फरपुर/ मधेपुरा/ गोपालगंज/ सहरसा/ खगड़िया/सारण/समस्तीपुर एवं सिवान।

पटना, दिनांक– 31/8/17

विषय – **RTGS के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों को भुगतान करने के संबंध में।**

महाशय,

बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच नकद अनुदान एवं खाद्यान्न के बदले में नकद उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिसके आलोक में आवंटन आदेश सं0 80/आ0प्र0, दिनांक–30.08.2017 के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है। विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दि0 30.08.17 को दिए गए निदेश का भी संदर्भ लिया जाए। RTGS के माध्यम से लाभुक परिवारों के बैंक खाते में राशि के अन्तरण के संबंध में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए –

1. राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण तरीके से लाभुक परिवार के खाते में की जानी है। किसी भी परिस्थिति में इसका भुगतान नकद या चेक के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
2. विगत वर्षों में RTGS के माध्यम से राशि के अन्तरण में कई जिलों के द्वारा यह बताया गया था कि RTGS के माध्यम से राशि के अन्तरण में कई ट्रांजेक्शन फेल हो गये। फलस्वरूप लाभुक के खाते में राशि का अन्तरण नहीं हो सका। इसे सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है :–
   (क) प्रतिदिन संबंधित बैंक से RTGS के द्वारा प्रेषित राशि में फेल ट्रांजेक्शन का विवरण प्राप्त किया जाए।
   (ख) फेल ट्रांजेक्शन का विवरण प्राप्त होने के पश्चात् इसका सघन अनुश्रवण कर त्रुटियों का निराकरण करते हुए संबंधित लाभुक के खाते में राशि का अन्तरण 24 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(ग) कई जिलों से ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई थी कि लाभुक के खाते में राशि अन्तरण हो जाने के पश्चात् भी लाभुक को राशि का वास्तविक भुगतान करने में बैंक द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है। अपने स्तर से संबंधित लीड बैंक के पदाधिकारियों के माध्यम से सभी संबंधित बैंकों को स्पष्ट निदेश दिया जाए कि लाभुक को अपनी राशि प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

3. पूरी कार्रवाई के लिए RTGS के माध्यम से राशि अन्तरण हेतु लीड बैंक के पदाधिकारी एवं एक वरीय उपसमाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए प्रतिदिन इसकी समीक्षा सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2649/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–31/8/17

प्रतिलिपि : सभी संबंधित जिलों के प्रभारी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2649/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–31/8/17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2649/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–31/8/17

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।